उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश और कॉउनसिलिंग (यूपीटीएसी)

विवरण पुस्तिका

(2024-25)

प्रवेश हेतु

प्रथम वर्ष में

B.Tech./M.Tech.(Integrated) द्वारा JEE Mains-2024

B.Tech. (BT)/B.Tech. (AG) द्वारा CUET UG-2024

B.Arch. द्वारा NATA-2024

BBA/BMS/BCA/B.Des./B.Pharmacy./BHMCT/BFAD/BFA/B.Voc./ MBA (एकीकृत)/ MCA(एकीकृत) द्वारा CUET UG-2024

MCA/MBA द्वारा CUET PG-2024

&

द्वितीय वर्ष में

B.Tech./B.Pharma. द्वारा CUET UG-2024

MCA द्वारा CUET PG-2024

वेबसाइट

https://uptac.admissions.nic.in

हेल्प् डेस्क
टोल फ्री : **1800-1800-161**
वैकल्पिक संपर्क : **0522-2336800, 0522-2336811**
इमेल : **uptac.helpdesk@aktu.ac.in**

संपर्क पता:

कुलसचिव

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश,
सेक्टर -11, जानकीपुरम् विस्तार, लखनऊ – 226 031 (उ0प्र0) भारत
इमेल : registrar@aktu.ac.in

वेबसाइट :https://aktu.ac.in

सामान्य-निर्देश

B.Tech./B.Arch./BBA/BMS/BCA/B.Des./B.Pharm./BHMCT/BFAD/BFA/ B.Voc के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए, MBA/MBA (एकीकृत)/ MCA/MCA (एकीकृत)/ M.Tech (एकीकृत) और B. Tech./B.Pharm/MCA का दूसरा वर्ष (लेटरल एंट्री)

1. प्रवेश हेतु कॉउनसिलिंग के लिए पंजीकरण केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। अभ्यार्थियों को वेबसाइट https://uptac.admissions.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।

2. कॉउनसिलिंग पंजीकरण की शुरुआत की तारीख वेबसाइटः https://uptac.admissions.nic.in पर अलग से सूचित की जाएगी।

3. अभ्यार्थियों को आवेदन पत्र भरने और जमा करने से पहले इस विवरण पुस्तिका सावधानी पूर्वक पढ़ लें एवं अपनी पात्रता अनुमन्य आरक्षण कैटेगरी इत्यादि से भली–भॉति अवगत हो लें। इसके अलावा, किसी भी नए अपडेट के लिए वेबसाइट https://uptac.admissions.nic.in पर जाने की सलाह दी जाती है।

4. यह कॉउनसिलिंग उन अभ्यार्थियों के लिए खुला है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थित किसी भी संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण **की** हो अथवा उनके माता या पिता उ0प्र0 के मूल/स्थायी निवासी हैं एवं विवरण पुस्तिका में दी गयी पात्रता शर्तों के अधीन आते हैं। यदि अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा उ0प्र0 के बाहर के किसी संस्थान से उत्तीर्ण की है तो उसे ऑनलाइन सत्यापन के लिए पंजीकरण के समय अपने माता-पिता (केवल पिता या माता) का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और जहां सीट आवंटित की गई हो उस संस्थान में भौतिक रिपोर्टिंग के दौरान ऑफ़लाइन सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

5. यह कॉउनसिलिंग उन अभ्यार्थियों के लिए भी खुला है, जिन्होंने उ0प्र0 के बाहर स्थित किसी भी संस्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके माता-पिता (पिता और माता दोनों) इस विवरण पुस्तिका में दी गई पात्रता शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं।

6. अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि पूर्ण रूप से भरे हुए आन लाइन आवेदन पत्र के ''कन्फर्मेशन पेज'' की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जानकारी/सूचना हेतु ''कन्फर्मेशन पेज'' का प्रिन्ट आउट सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों को सलाह है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु ''एप्लीकेशन नम्बर'' नोट कर लें एवं सुरक्षित रखें।

7. कॉउनसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर दिए गए निर्देश के अनुसार भरा और जमा किया जा सकता है: https://uptac.admissions.nic.in

8. अभ्यार्थियों को इस स्तर पर विश्वविद्यालय को किसी भी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी/फोटो कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

9. इस विवरण पुस्तिका में दी गई पात्रता शर्तों के अधीन एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों में सभी पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय अभ्यार्थियों के लिए कुल स्वीकृत सीटों का 20 प्रतिशत उपलब्ध है। इस प्रकार, एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों में सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कुल स्वीकृत सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय अभ्यार्थियों के लिए खुली होंगी। इन सीटों को संबंधित परीक्षाओं से योग्यता के आधार पर भरा जाएगा।

10. कॉउनसिलिंग में शामिल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

11. किसी भी संस्थान में प्रवेश से यह उपलक्षित है कि अभ्यर्थी व उसके माता–पिता/अभिभावक विवरण पुस्तिका एवं उस संस्थान के प्रास्पेक्टस में दिये गये सभी नियमों व प्रावधानों को स्वीकार करते हैं। सभी अभ्यर्थियों पर उस संस्थान के नियम/निर्देश, फीस, विशेष शर्तें आदि में परिवर्तन (यदि कोई हो) स्वमेव लागू होंगे।

12. आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए **नवीनतम** कलर फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज अपलोड करना आवश्यक है। अस्पष्ट/गलत फोटोग्राफ वाले आवेदन स्वतः निरस्त किये जाने के पात्र होंगे।

13. आरक्षित श्रेणियों, उप-श्रेणियों, ग्रामीण वेटेज आदि के लाभ का दावा करने वाले अभ्यार्थियों को आवेदन पत्र में उल्लेख करना आवश्यक है। इन प्रमाणपत्रों को, मूल रूप से, उस संस्थान में भौतिक रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत करना होगा जहां सीट आवंटित की गई है, साथ ही उनमें से प्रत्येक की एक स्व-सत्यापित प्रति भी साथ में लानी होगी। प्रमाणपत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-ए पर इस विवरण पुस्तिका के अंत में दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य हैं। ध्यान दें कि ओ. बी. सी. अभ्यार्थी के लिए प्रमाण पत्र और ई. डब्ल्यू. एस. अभ्यार्थी के लिए प्रमाण पत्र 01.04.2024 या उसके बाद जारी किया किया गया हो (ओ. बी. सी. के लिए क्रीमी लेयर की स्थिति के कारण अनिवार्य) और ई. डब्ल्यू. एस. अभ्यार्थियों के लिए प्रमाण पत्र शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए मान्य होना चाहिए।

14. वे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या अंतिम परीक्षा परीणाम के लिए प्रतीक्षारत हैं वे **कॉउनसिलिंग** में सम्मिलित हो सकते हैं। वे अभ्यर्थी जिनकी अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल किसी भी कारण से डाकूमेन्ट वेरिफिकेशन की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, किसी भी स्थिति में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

15. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी अभिलेख/घोषणा–पत्र किसी भी स्तर पर फर्जी/गलत पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र लखनऊ तक सीमित रहेगा।

16. वे अभ्यर्थी, जो **कॉउनसिलिंग** के लिए अर्ह नहीं हैं, फिर भी सम्मिलित **होते** हैं, वे किसी प्रकार के प्रवेश के दावेदार नहीं होगें। अतः अभ्यर्थी **कॉउनसिलिंग** के लिये पात्रता की शर्तों से पहले ही आश्वस्त हो लें।

17. कॉउनसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क रु. 1000/- है।

18. कालेज/संस्थान में पाठ्यक्रम एवं सीटों की संख्या काउन्सिलिंग की तिथि तक घट–बढ़ सकती है।

19. यदि कोई बोर्ड/विश्वविधालय अंक पत्र पर समतुल्य प्रतिशत अंक न देकर केवल ग्रेड देता है तब अभ्यर्थी को चाहिए कि वह बोर्ड/विश्वविधालय से समतुल्य अंक प्रमाण पत्र लेकर काउन्सिलिंग के समय जमा करे। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तब उसकी पात्रता के बारे में केन्द्रीय प्रवेश समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा।

20. काउन्सिलिंग द्वारा सीटों का आवंटन अभ्यर्थी की मेरिट, उसके द्वारा सीटों के चयन पर लिया गया अन्तिम वरीयता निर्णय तथा रिक्त सीटों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। एक बार किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाने पर ब्रान्च या संस्था में किसी में भी कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।

21. सीट आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के समय जमा की गयी फीस की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा किसी भी दशा में जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी **(अनुसूची के अनुसार काउन्सिलिंग से विड्रॉल के मामले को छोड़कर), भले ही उम्मीदवार आवंटित संस्थानों में प्रवेश के लिए रिपोर्ट न करे।**

22. काउन्सिलिंग के संबंध में समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://aktu.ac.in** व https://uptac.admissions.nic.in के माध्यम से निर्गत की जायेंगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इन वेबसाइट को नियमित रूप से देखें। सूचना के अभाव में अभ्यर्थियों को होने वाले नुकसान के लिए डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगा।

23. आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कमी अथवा त्रुटि की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा और इस संदर्भ में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन विचारणीय न होगा।

24. ***यह विवरण पुस्तिका अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में है किसी भी भ्रम की दशा में अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा।***

25. उपयोग किए गए संक्षिप्त विवरणः

AKTU	**-**	**Dr A.P.J. Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh, Lucknow**
AIU	**-**	**Association of Indian Universities**
BBA	**-**	**Bachelor of Business Administration**
BMS	**-**	**Bachelor of Management Studies**
BCA	**-**	**Bachelor of Computer Application**
B. Tech.	**-**	**Bachelor of Technology**
B. Pharm.	**-**	**Bachelor of Pharmacy**
B. Arch.	**-**	**Bachelor of Architecture**
B. Des	**-**	**Bachelor of Design**
BHMCT	**-**	**Bachelor of Hotel Management & Catering Technology**
BFAD	**-**	**Bachelor of Fashion & Apparel Design**
BFA	**-**	**Bachelor of Fine Arts**
BTEUP	**-**	**Board of Technical Education, Uttar Pradesh**
CoA	**-**	**Council of Architecture**
MBA	**-**	**Master of Business Administration**
MCA	**-**	**Master of Computer Application**
NATA	**-**	**National Aptitude Test in Architecture**
NTA	**-**	**National Testing Agency**
SAT II	**-**	**Scholastic Assessment Test II**
UPTAC	**-**	**Uttar Pradesh Technical Admission & Counselling**

नोट: डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ **से संबद्ध सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉउनसिलिंग आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कतिपय** राज्य **विश्वविद्यालयों के कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी इस कॉउनसिलिंग के माध्यम से किया जा सकता है।**

1 केंद्रीय प्रवेश समिति (सीएबी)

उत्तर प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (एकेटीयू) से संबद्ध डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग संस्थानों और अन्य पेशेवर कॉलेजों के लिए प्रवेश और कॉउनसिलिंग प्रक्रिया पत्र/फ़ाइल संख्या 16-1099/1043 2019-1-15984 2024 दिनांक 09-03-2024 के माध्यम से डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (एकेटीयू) को सौंपी गई है। एकेटीयू की कार्य-परिषद ने एकेटीयू द्वारा आयोजित की जा रही कॉउनसिलिंग की निगरानी और नियंत्रण के लिए एकेटीयू के कुलपति की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रवेश सीमित (सीएबी) का गठन किया है। सीएबी का अधिकार क्षेत्र एकेटीयू, लखनऊ से संबद्ध कॉलेजों/संस्थानों तक फैला हुआ है। सीएबी यूपीटीएसी-2024 के माध्यम से संचालन और प्रवेश के संबंध में सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।

2 प्रवेश का तरीका

2. 1 प्रथम वर्ष में प्रवेश

एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों एवम उत्तर प्रदेश में स्थित कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कॉउनसिलिंग का संचालन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।

S No	Program/ Courses	Entrance Exam
1	B Tech & M Tech (Integrated)	JEE (Main)-2024
2	B Tech (Bio-Technology)	CUET UG -2024
3	B. Tech(Agriculture)	CUET UG -2024
4	B Des	CUET UG -2024
5	B Pharmacy	CUET UG -2024
6	B Arch	NATA-2024
7	BHMCT	CUET UG -2024
8	BFAD	CUET UG -2024
9	BFA	CUET UG -2024
10	BBA	CUET UG -2024
11	BMS	CUET UG -2024
12	BCA	CUET UG -2024
13	MBA (Integrated)	CUET UG -2024
14	MCA (Integrated)	CUET UG -2024
15	B Voc	CUET UG -2024
16	MBA	CUET PG -2024
17	MCA	CUET PG -2024

2. 2 B.TECH/B.PHARM./MCA द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश (लेटरल एंट्री)

(i) B.TECH/B.PHARM./MCA लेटरल एंट्री के लिए सीयूईटी (यूजी)-2024/ सीयूईटी (पीजी)-2024 परीक्षा में योग्य अभ्यार्थी B.TECH/B.PHARM./MCA पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश (लेटरल एंट्री) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

(ii) जो योग्य अभ्यार्थी (खंड 3 का संदर्भ लें), डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय (एकेटीयू), लखनऊ और अन्य निर्दिष्ट राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध संस्थानों में B.Tech के द्वितीय वर्ष (इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों और बीएससी स्नातक के लिए।), या बी. फार्मेसी (केवल फार्मेसी डिप्लोमा धारकों के लिए) या एमसीए में सीधे प्रवेश चाहते हैं, को अंतिम तिथि से पहले कॉउनसिलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।

(iii) ऐसी सीटें प्रथम वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए संस्थानों/कॉलेजों में पिछले वर्ष स्वीकृत सीटों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(iv) बी0एस0सी0 स्नातक का प्रवेश, डिप्लोमा अभ्यर्थी को बी0टेक0 में सीट एलाटमेन्ट के बाद बची हुई सीट पर लिया जायेगा।

(v) द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश B.TECH/B.PHARM./MCA के अतिरिक्त किसी अन्य पाठ्यक्रम में नहीं किया जाएगा।

(vi) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी सस्थान से उत्त्तीर्ण की है और उनके अभिभावक (माता–पिता) उत्तर प्रदेश राज्य के मूल/स्थायी निवासी नही हैं, वे बी0टेक0/बी0फार्मा/एम0सी0ए0 के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश पाने के अधिकारी नही हैं।

2.3 विभिन्न स्कीम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की सीटें:

(1) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित तकनीकी संस्थानों में 15 प्रतिशत सीटें एन0आर0आई0 / मैनेजमेन्ट कोटे के अंतर्गत अभ्यर्थियों के लिए संरक्षित की गई हैं जिन पर प्रवेश की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। शेष बची सीटें आन लाइन काउन्सलिंग के माध्यम से भरी जायेंगी।

(2) इस कॉउनसिलिंग विवरण पुस्तिका (Information Brochure) में दी गई पात्रता शर्तों के अधीन एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों की सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय अभ्यार्थियों के लिए कुल स्वीकृत सीटों का 20 प्रतिशत सीटें उपलब्ध है। इस प्रकार, एकेटीयू से संबद्ध सभी संस्थानों के पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कुल स्वीकृत सीटों में से 20 प्रतिशत अखिल भारतीय अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी। यह सीटें उपरोक्त खंड 2.1 के अनुसार कॉउनसिलिंग के माध्यम से भरी जायेगी।

(3) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/ स्व-वित्तपोषित संस्थान के सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की सीटें उपरोक्त खंड 2.1 के अनुसार कॉउनसिलिंग के माध्यम से भरी जाएंगी।

(4) निजी संस्थानों के सभी पाठ्यक्रमों में 85 प्रतिशत सीटें उपरोक्त खंड 2.1 के अनुसार कॉउनसिलिंग के माध्यम से भरी जाएंगी।

2.4 अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों का प्रथम वर्ष में प्रवेश:

अप्रवासीय भारतीय अभ्यर्थी जो प्रवेश की निर्धारित अर्हता रखते हैं, राजकीय / राज्य सहायता **प्राप्त** इन्जीनियरिंग कालेजों एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों जिन्हें इस आशय का अभातशिप (AICTE) का अनुमोदन प्राप्त है, में कुल उपलब्ध सीटों की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर मेरिट के आधार पर सीधे प्रवेश ले सकते हैं, जो शासन द्वारा निर्गत नवीनतम सुसंगत निर्देशों पर निर्भर करेगा। विस्तृत विवरण **जून 2024** के अन्तिम सप्ताह में विभिन्न समाचार पत्रों तथा विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। **इस योजना के तहत प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थियों को किसी भी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि इस श्रेणी के तहत B.Arch पाठ्यक्रम चुनने वाले आवेदक को एनएटीए-2024 पास होना चाहिए।**

2.5 कश्मीरी प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर प्रवासियों, जो वर्तमान में कश्मीर घाटी में रह रहे हैं) के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश:

AICTE के नवीनतम निर्देशों और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार प्रत्येक संस्थान में प्रथम वर्ष में कश्मीर घाटी में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर-प्रवासियों) को सीधे प्रवेश दिया जाना है। इस तरह के प्रवेश स्वीकृत सीटों से अधिक होंगे और आम तौर पर एकेटीयू, लखनऊ से संबद्ध प्रति संस्थान एक प्रवेश तक सीमित होंगे। विस्तृत जानकारी जून-2024 के अन्तिम सप्ताह में विभिन्न समाचार पत्रों और विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://uptac.admissions.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। इस श्रेणी के तहत प्रवेश का विकल्प चुनने वाले अभ्यार्थियों को किसी भी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यार्थियों के लिए B.Arch. पाठ्यक्रम मौजूद नहीं है।

2.6 विदेशी नागरिक (एफएन) / भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) / खाड़ी देशों में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों (सीआईडब्ल्यूजीसी) के लिए प्रवेश:

AICTE की मंजूरी के तहत, चिह्नित संस्थान विश्वविद्यालय के पात्रता मानदंड (खंड 3) और दिशानिर्देशों के अनुसार AICTE द्वारा स्वीकृत सीमा तक एफएन/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजीसी को प्रवेश देंगे। ये अतिरिक्त सीटें स्नातक पाठ्यक्रमों में एफएन/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजीसी छात्रों के लिए इस शर्त के साथ होंगी कि किसी भी परिस्थिति में सीट नहीं भरने पर एफएन/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजीसी के अलावा अन्य अभ्यार्थियों को आवंटित नहीं किया जाएगा। इस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए अभ्यार्थियों को किसी भी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यार्थियों के लिए B.Arch. पाठ्यक्रम मौजूद नहीं है।

2.7 आर्थिक रूप से कमजोर मेरिटोरियस (गुणी) अभ्यर्थियों हेतु शुल्क मुक्त सीटों पर प्रवेश:

AICTE के नोटीफिकेशन के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर मेरिटोरियस (गुणी) अभ्यर्थियों हेतु डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध सभी संस्थानों के **B.Tech./BHMCT/BFAD/BFA/B. Des/B. Pharmacy/MCA/MBA** कोर्स में शुल्क मुक्त सीटें भी उपलब्ध हैं। इन सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। ये शुल्क मुक्त सीटें स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होंगी तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित होंगी। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को प्रपत्र 12 में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा **|इसे EWS श्रेणी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।**

B.Arch पाठ्यक्रम के लिए कोई शुल्क माफी सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

3 पात्रता की शर्ते:

अभ्यार्थियों को कॉउनसिलिंग में उपस्थित होने के लिए नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगाः

S No	Program/ Courses	Eligibility Criteria	Subjects (अनिवार्य आवश्यकता)	Subjects (सूची से कम से कम एक)
1	B Tech & M Tech (Integrated)	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है और एक साथ लिए गए विषयों में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत अंक) प्राप्त किए हो। या D.Voc. परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।	यहां परिशिष्ट बी में संलग्न एआईसीटीई अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2024-27 के अनुलग्नक 8 का 8.4 देखें।	
2	B Tech (Bio-Technology)	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है और एक साथ लिए गए विषयों में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत अंक) प्राप्त किए हो। या D.Voc. परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।	Physics, Chemistry	Biology/ Bio-Technology/ Maths
3	B. Tech (Agriculture)	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है और एक साथ लिए गए विषयों में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत अंक) प्राप्त किए हो। या D.Voc. परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।	Physics & Chemistry OR Agriculture Stream	Maths/ Biology/ Biotechnology/ Agriculture/ Agriculture stream
4	B Des	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण के साथ कम से कम 45 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत) प्राप्त किए हो।		
5	B Pharmacy	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण	Physics & Chemistry	Mathematics/ Biology
6	B Arch	10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किए साथ ही साथ 10+2 स्तर की परीक्षा में भी कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।	Physics & Mathematics	Chemistry/ Biology / Technical Vocational subject/ Computer Science/ Information Technology/Informatics Practices/ Engineering Graphics/ Business Studies
		10+3 डिप्लोमा उत्तीर्ण कर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।	Mathematics	
7	BHMCT	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत) प्राप्त किए हैं।		

S No	Program/ Courses	Eligibility Criteria	Subjects (अनिवार्य आवश्यकता)	Subjects (सूची से कम से कम एक)
8	**BFAD**	परीक्षा उत्तीर्ण 10+2 अर्हकारी परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत) प्राप्त किए हैं।		
9	**BFA**	परीक्षा उत्तीर्ण 10+2 अर्हकारी परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत) प्राप्त किए हैं।		
10	**B. Tech (Lateral)**	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा (कृषि इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर को छोड़कर) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत अंक) के साथ न्यूनतम तीन वर्ष/दो वर्ष (पार्श्व प्रवेश) डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो,बीटीईयूपी या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। **या** बी. एससी पास किया है। यूजीसी द्वारा परिभाषित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत अंक) और एक विषय के रूप में गणित के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यदि डिप्लोमा छात्रों को आवंटन के बाद सीटें खाली रहती हैं, तो उन्हें आवंटित किया जाएगा। या बीटीईयूपी या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उसी या संबद्ध क्षेत्र में D.Voc पास किया गया हो		
11	**B Pharmacy (Lateral)**	तकनीकी शिक्षा प्रवेश, यूपी या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत अंकों) के साथ फार्मेसी परीक्षा में न्यूनतम तीन वर्ष/दो वर्ष (लेटरल एंट्री) डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो।		
12	**MBA (Integrated)**	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण। अर्हकारी परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत अंक) प्राप्त किए हों।		
13	**MCA (Integrated)**	अनिवार्य विषयों के रूप में गणित/सांख्यिकी/लेखांकन के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण। उपरोक्त विषयों में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 40 प्रतिशत अंक) प्राप्त किए हैं।		**Mathematics /Statistics/ Accountancy**
14	**B Voc**	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।		
15	**BBA/BMS**	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।		
16	**BCA**	एक विषय के रूप में गणित/व्यवसाय गणित के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण		
17	**MBA**	न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि की स्नातक डिग्री उत्तीर्ण की है। अर्हकारी परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 45 प्रतिशत अंक) प्राप्त किए हों		
18	**MCA**	बी. सी. ए./बी. एससी. पास किया हो। (कंप्यूटर साइंस)/बी. एससी। (आईटी) / बी. ई. (सीएसई)/B.Tech. (सीएसई)/बी.		

S No	Program/ Courses	Eligibility Criteria	Subjects (अनिवार्य आवश्यकता)	Subjects (सूची से कम से कम एक)
		ई. (आईटी)/B.Tech (आईटी) या समकक्ष डिग्री। **या** कोई भी स्नातक की डिग्री (जैसे.: बी. ई./B.Tech./बी. एससी/B.Com./ 10+2 स्तर पर या स्नातक स्तर पर गणित के साथ बी. ए./बी. वीओसी./आदि) अर्हकारी परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के मामले में 45 प्रतिशत अंक) प्राप्त किए हैं।		
19	MCA (Lateral)	बी टेक/बी. ई. (सीएसई/आईटी) या बीसीए (4 वर्ष)		

उपरोक्त तालिका के अलावा निम्नलिखित पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए:

(i) अभ्यार्थी को उत्तीर्ण घोषित करने वाली अर्हक परीक्षा की मार्कशीट जमा करनी होगी। हालाँकि, पंजीकरण के समय, उन विषयों में कोई भी रिपीट-इन-थ्योरी/कम्पार्टमेंट (जो पास होना रह गया हो) नहीं होना चाहिए, जिन्हें ऊपर बिंदु संख्या 3 में तालिका के अनुसार पात्रता के लिए स्वीकार किया जा रहा है।

(ii) अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना ग्रेस के साथ या ग्रेस के बिना उत्तीर्ण होने का संकेत देता है, जिसमें उपरोक्त तालिका से प्रवेश के लिए विचार किए जाने वाले विषय में कोई कंपार्टमेंट/ रिपीट नहीं है।

(iii) 12वीं या समकक्ष परीक्षा में कुल अंकों का प्रतिशत प्रमाण पत्र देने वाले बोर्ड /विश्वविद्यालय/परिषद द्वारा सुझाव के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ परिषद ग्रेड शीट पर अंकों के बराबर प्रतिशत प्रदान किए बिना लेटर ग्रेड प्रदान करता है तो अभ्यार्थी को संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय/ परिषद से प्रतिशत रूपांतरण फॉर्मूला निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और कॉउनसिलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के समय इसे मार्कशीट के साथ अपलोड करना होगा। इस तरह के प्रमाणपत्र के न होने पर, उसकी पात्रता के संबंध में केंद्रीय प्रवेश समिति (सीएबी) का निर्णय अंतिम होगा।

(iv) एकेटीयू, लखनऊ से संबद्ध किसी भी संस्थान में एमबीए/एमसीए के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए, किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से न्यूनतम तीन साल की पात्रता डिग्री या इसके समकक्ष, एआईयू द्वारा मान्यता प्राप्त अनिवार्य है।

(v) बी. एस.सी से संबंधित लेटरल अभ्यार्थियों के लिए B.Tech. स्ट्रीम द्वितीय वर्ष के विषयों के साथ प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग प्रोग्राम के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/ इंजीनियरिंग ड्राइंग/ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स (जैसा कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लागू है) विषयों को क्लियर करना होगा।

3.1 प्रथम वर्ष में एनआरआई कोटा में प्रवेश के लिए पात्रता:

जिन एनआरआई अभ्यार्थियों के पास न्यूनतम आवश्यक योग्यता है, वे एमबीए/एमसीए को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त पोषित और निजी संस्थानों में कुल प्रवेश की 5 प्रतिशत सीटों पर सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, B.Arch चुनने वाले आवेदक इस श्रेणी के तहत पाठ्यक्रम को एनएटीए-2024 पास होना चाहिए। अभ्यार्थियों को इस कोटा के तहत कॉउनसिलिंग की तारीख और सीटों की संख्या के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। एनआरआई कॉउनसिलिंग की तारीख तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नवीनतम आदेश एनआरआई कोटा में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

विस्तृत जानकारी जून-2024 के अन्तिम सप्ताह में अखबार और वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी: https://uptac.admissions.nic.in।

3.2 प्रथम वर्ष में विदेशी राष्ट्रों (एफएन)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/भारतीय श्रमिकों के बच्चों के प्रवेश के लिए :

एफएन/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजीसी सीटें विदेशी नागरिकों/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजीसी से भरी जाएंगी, जो:
(i) भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा (10+2) परीक्षा के बराबर माना जाता है।
(ii) अपनी राष्ट्रीयता के समर्थन में पासपोर्ट या समकक्ष साक्ष्य की एक प्रति जमा करनी होगी।

ऐसे मामलों की रिलेटिव मेरिट उनकी अर्हकारी परीक्षा पर आधारित होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश की तारीख तक जारी किए गए नवीनतम आदेश एफएन/पीआईओ/सीआईडब्ल्यूजीसी पर लागू होंगे।

3.3 निजी संस्थानों में संस्थान स्तर पर प्रबंधन कोटा (एनआरआई अभ्यार्थियों के लिए) कॉउनसिलिंग के बाद रिक्त सीटो पर प्रथम वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए पात्रता:

(i) निजी संस्थानों में 15 प्रतिशत सीटें खंड 2 और खंड 3 में पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रबंधन कोटा के तहत संस्थान स्तर पर प्रबंधन/एनआरआई कोटा द्वारा भरी जाएंगी। एनआरआई/मैनेजमेंट कोटा में खाली सीटें या कॉउनसिलिंग के बाद खाली सीटें, कॉउनसिलिंग की अंतिम तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर, वरीयता आदेश का पालन करते हुए सख्ती से भरी जाएंगी

(1) उन अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो खंड 2 में उल्लिखित परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं और खंड 3 के अनुसार पात्र है।
(2) दूसरा (B.Arch को छोड़कर. जहां एनएटीए-2024 अनिवार्य है), संबंधित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए नियामक निकायों द्वारा

निर्धारित अर्हकारी परीक्षाओं में अभ्यार्थियों की मेरिट के आधार पर जो समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं।

(ii) राज्य स्तर के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों और संस्थान की वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करना, विश्वविद्यालय पोर्टल पर आवेदन जमा करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय देना। प्रवेश पूरी तरह से ऊपर बताए गए खंड 3.3 (i) के आधार पर होंगे।

किसी भी मामले में किसी भी निजी संस्थान को उत्तर प्रदेश की तुलना में अन्य राज्यों के छात्रों को 25 प्रतिशत से अधिक सीटों पर प्रवेश देने की अनुमति नहीं है।

3.4 निजी संस्थानों में कॉउनसिलिंग के बाद द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन (लेटरल एंट्री) के लिए खाली सीटो के अन्तर्गत सीधे प्रवेश:

लेटरल एंट्री (द्वितीय वर्ष) के लिए कॉउनसिलिंग के बाद B. Tech./B.Pharma./MCA पाठ्यक्रम में खाली सीटों को संस्थान स्तर पर कॉउनसिलिंग की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर या संबंधित नियामक निकाय (जो भी पहले हो) द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि से पहले भरा जाएगा, सबसे पहले सीयूईटी-यूजी-2024 पास अभ्यार्थियों द्वारा, जो खंड 2 और 3 के अनुसार पात्रता को पूरा करते हैं। उनकी रिलेटिव मेरिट सीयूईटी-यूजी-2024 में उनके मार्क्स/रैंक के आधार पर तय की जाएगी। इसके बाद, खाली सीटों, यदि कोई हो, को ऐसे अभ्यार्थियों द्वारा मेरिट के आधार पर भरा जाएगा, जिन्होंने B. Tech./B. Pharma/ MCA के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत (एससी/एसटी के लिए 40 प्रतिशत) प्राप्त करके अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

संस्थान, संस्थान की वेबसाइट और राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके सीटों को भरना सुनिश्चित करेगा और आवेदन जमा करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय देगा।

4 कैटेगरी परिभाषाएँ :

4.1 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी संस्थान से पास की है तथा जिन्होंने कोई आरक्षित श्रेणी नहीं मांगी है, सभी संस्थानों के सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सामान्य (ओपेन) सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र हैं, (कोई वर्गीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं) ऐसे अभ्यार्थियों से किसी श्रेणी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। **[कोड: UPGE]**

4.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी संस्थान से पास की हैं तथा उत्तर प्रदेश के अधिवासी हैं तथा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तर प्रदेश के अन्य पिछडावर्ग श्रेणी में आते हैं, सभी संस्थानों के सभी पाठ्यक्रमों में उनकी श्रेणी में उपलब्ध आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र हैं। **प्रमाणपत्र संख्या 1 या 2, जैसा कि लागू हो, आवश्यक है।** **[संबंधित कोड: UPSC / UPST / UPBC]**

4.3 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्थान से पास की हैं तथा जिनके माता अथवा पिता उत्तर प्रदेश के मूल/स्थाई निवासी हैं तथा जिन्होंने किसी आरक्षित श्रेणी की मांग नहीं की है, उत्तर प्रदेश में स्थित संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सामान्य (अनारक्षित) सीटों पर प्रवेश हेतु पात्रता रखते हैं। (ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पिता/माता का मूल/स्थाई निवास प्रमाण / **प्रमाण पत्र संख्या 3** काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है)।

[कोड: UPGD]

4.4 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्थान से पास की हैं तथा जिनके माता पिता (माता या पिता) उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तथा जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तर प्रदेश के अन्य पिछडा वर्ग के श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उनकी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र हैं। (ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पिता/माता का मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या 3 तथा प्रमाण पत्र संख्या 1 अथवा 2 आवश्यक है)। **[संबंधित कोड: GDSC/GDST/GDBC]**

4.5 निम्न प्रकरणों में माता/पिता की अधिवास आवश्यकतायें शिथिल की गयी हैं और इस प्रकार के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनुमन्य किया गया है:

- **(i)** सेवा निवृत्त/युद्ध में अपंगता के पश्चात प्रवेश परीक्षा तिथि को उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले रक्षा कर्मचारी अथवा युद्ध में मारे जाने के पश्चात प्रवेश परीक्षा तिथि को उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले रक्षा कर्मचारियों के आश्रित ऐसे रक्षा कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को (प्रमाण पत्र संख्या 5 अनिवार्य है)।
- **(ii)** ऐसे रक्षा कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, परन्तु प्रवेश परीक्षा तिथि को उत्तर प्रदेश में नियुक्त है (प्रमाण पत्र संख्या 5 अनिवार्य है)।
- **(iii)** उत्तर प्रदेश कैडर के अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री **GDDA** के अभ्यर्थियों को सभी लाभों के लिए **UPGD** श्रेणी के समतुल्य माना जायेगा (प्रमाण पत्र संख्या 11 अनिवार्य है)। **[कोड: GDDA]**

4. 6 ऐसे **अखिल भारतीय** अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उ0प्र0 के बाहर **स्थित** किसी भी संस्थान से उत्तीर्ण की है एवं उनके माता और पिता उ0प्र0 के मूल/स्थायी निवासी नहीं हैं (कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है)। ए0के0टी0यू0 से सम्बद्ध निजी संस्थानों के पाठ्यक्रम में कुल स्वीकृत क्षमता के मात्र 20 प्रतिशत सीटों पर ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ प्रवेश किया जा सकेगा। **[कोड: OSGE]**

4. 7 अभ्यार्थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक संस्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है और सामान्य EWS श्रेणी से संबंधित हैं, वे उपलब्ध सामान्य (EWS) सीटों के बदले सभी संस्थानों में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं। इस कोटा के अभ्यार्थियों के लिए कोई शुल्क माफ़ी उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र संख्या.13)। [कोड: UPGEEWS]

4. 8 अभ्यार्थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके माता-पिता उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और सामान्य EWS श्रेणी से संबंधित हैं, वे उपलब्ध सामान्य (EWS) सीटों के बदले सभी संस्थानों में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं। इस कोटा के लिए अभ्यार्थियों को कोई शुल्क माफ़ी उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संख्या 13)। **[कोड: UPGDEWS]**

नोट: विभिन्न प्रमाणपत्रों के प्रारूप परिशिष्ट-ए में उपलब्ध हैं, अभ्यार्थी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रारूपों का भी उपयोग कर सकते हैं।

5 सीटों का आरक्षण

5. 1 ऊर्ध्वाधर आरक्षण (श्रेणी):

श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
(a) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के अभ्यार्थी	21%
(b) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी	02%
(c) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थी	27%
(d) उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थी	10%

5.2 क्षैतिज आरक्षण (प्रत्येक श्रेणी में उप-श्रेणी उपलब्ध):

उप-श्रेणी	कोड	कुल सीटों का अधिकतम प्रतिशत
(a) उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित.	UPFF	02%
(b) उत्तर प्रदेश के रक्षा कर्मियों के बेटे/बेटियां या तो सेवानिवृत्त (सेवानिवृत्त) या कार्रवाई में मारे गए/विकलांग या उत्तर प्रदेश में तैनात/उत्तर प्रदेश के बाहर तैनात (उत्तर प्रदेश के निवासी) रक्षा कर्मी।	UPAF	05%
(c) उत्तर प्रदेश से दिव्यांग जन।	UPHC	05%
(d) उत्तर प्रदेश से महिला अभ्यार्थी.	UPGL	20%

5.3 अभ्यार्थियों को UPFF/UPAF/UPHC में से केवल एक प्रकार का क्षैतिज आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि, महिला अभ्यार्थी UPGL के साथ-साथ UPFF/UPAF/UPHC में से किसी एक के लिए भी क्लेम कर सकती हैं।

5.4 आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी/उप-श्रेणी में बदलाव के लिए बाद के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

5.5 **Appendix-A** में दिये गये प्रारूपों पर संबंधित प्रमाण पत्र श्रेणी/उपश्रेणी के प्रमाण स्वरूप काउन्सिलिंग/डाकूमेन्ट वेरिफिकेशन **के लिए अपलोड करने होंगे** अन्यथा अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।

5.6 सशस्त्र बल उप-श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के रक्षा कर्मी सेवानिवृत्त (सेवानिवृत्त) या कार्रवाई में शहीद/विकलांग और उत्तर प्रदेश में बसे आश्रित और उत्तर प्रदेश में तैनात (कॉउनसिलिंग पंजीकरण की तारीख पर) रक्षा कर्मियों के बेटों/बेटियों के लिए उपलब्ध है।

5.7 उपश्रेणी में आरक्षण के लिये खंड 5.2 (ए), (बी) और (सी) के संबंधित क्रमशः प्रमाण पत्र संख्या 4, 5 एवं 6 कॉउनसिलिंग पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे ।

5.8 शुल्क मुक्त सीटों की संस्थानवार उपलब्धता काउन्सिलिंग के समय प्रदर्शित की जायेगी।

5.9 UPGD एवं UPGE के महिला अभ्यर्थियों को **UPGL** उप श्रेणी का लाभ स्वतः ही मिल जायेगा।

6 उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से अभ्यार्थियों के लिए वेटेज (अधिमान)

6.1 उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले UPGE अभ्यार्थियों को B.Tech./B.Pharm./B.Arch./BHMCT/BFAD/BFA/B.Voc पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा (जे. ई. ई. (मेन)-2024 / एन.ए.टी.ए.-2024 /सी.यू.ई.टी.यू.जी.-2024) में प्राप्त कुल अंकों के 3 प्रतिशत का अधिमान दिया जाएगा।

6.2 इस उद्देश्य के लिए, संस्थान ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने चाहिए, लेकिन क्षेत्र औद्योगिक रूप से विकसित नहीं होना चाहिए। ऐसे अभ्यार्थियों को कॉउनसिलिंग के समय प्रमाणपत्र संख्या 7 प्रस्तुत करना होगा।

6.3 किसी अन्य आरक्षण का विकल्प चुनने वाले अभ्यार्थी और द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश का विकल्प चुनने वाले अभ्यार्थी के लिए ग्रामीण वेटेज लागू नहीं है।

6.4 खंड 4.3 और 4.8 में परिभाषित UPGD और UPGDEWS श्रेणी के तहत अभ्यार्थियों के लिए ग्रामीण अधिमान लागू नहीं है।

7 चिकित्सीय मानक :

7. 1 अभ्यार्थियों को कॉउनसिलिंग पंजीकरण के समय प्रमाणपत्र संख्या 9 पर मेडिकल फिटनेस/विकलांग का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। निर्धारित चिकित्सा मानक नीचे दिए गए हैं.

लागू चिकित्सीय मानक

ऊंचाई	अभ्यार्थी को चुने हुए पाठ्यक्रम में अपनी पढ़ाई करने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए।
वज़न	
छाती का माप	
दिल और फेफड़े	कोई असामान्यता नहीं
हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स आदि।	शामिल होने से प्रथम इनमें से किसी की उपस्थिति को ठीक किया जाना चाहिए।
दृष्टि	सामान्य। यदि दोषपूर्ण है, तो इसे बेहतर आंख में 6/9 और बदतर में 6/12 में ठीक किया जाना चाहिए। आंखें जन्मजात या किसी अन्य बीमारी से मुक्त होनी चाहिए।
सुनना	सामान्य। यदि दोषपूर्ण है, तो इसमें शामिल होने से प्रथम इसे ठीक किया जाना चाहिए।
शारीरिक रूप से विकलांग	किसी भी एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता/विकलांगता वाले अभ्यार्थी नीचे दिए गए हैं।

शारीरिक विकलांगता

Type – I	न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दृष्टि हानि
Type – II	न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी लोकोमोटर विकलांगता
Type – III	न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी भाषण और श्रवण हानि

8 कॉउनसिलिंग:

यूपीटीएसी 2024 (एम टेक/एम आर्क/एम प्लान/एम फार्म/एम डेस को छोड़कर सभी कार्यक्रम) के लिए कॉउनसिलिंग प्रक्रिया और सम्भावित कार्यक्रम के बारे में सूचना वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करायी जायेगी।

9 कॉउनसिलिंग पंजीकरण शुल्क:

कॉउनसिलिंग पंजीकरण शुल्क रु. 1000 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय पंजीकरण शुल्क क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करते समय सेवा शुल्क के साथ-साथ टैक्स भी लग सकता है।

10 ट्यूशन फीस:

10.1 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों में उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार ट्यूशन शुल्क लागू होगी । हालांकि, कुछ पाठ्यक्रम सेल्फ-फाइनेंस स्कीम के तहत हैं और ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का विवरण संबंधित कॉलेजों/संस्थानों से प्राप्त किया जा सकता है। छात्रावास की राशि और अन्य शुल्क के बारे में जानकारी संस्थान से ही प्राप्त की जा सकती है।

10.2 निजी संस्थानों/सरकारी संस्थानों/ स्व-वित्त पाठ्यक्रम चलाने वाले सहायता प्राप्त संस्थानों में शुल्क, उत्तर प्रदेश सरकार की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना/आदेशों के अनुसार लागू होगी।

11. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के सबमिशन की अंतिम तिथि

कॉउनसिलिंग के लिए आवेदन पत्र केवल वेबसाइट https://uptac.admissions.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और जमा करने की अंतिम तिथि के लिए वेबसाइटः https://uptac.admissions.nic.in देखें।

12 वीडिंग आउट नियम

कॉउनसिलिंग का रिकॉर्ड कॉउनसिलिंग के अंतिम दौर की समापन तिथि से केवल 90 दिनों तक ही संरक्षित किया जाएगा। इसके बाद कोई भी जानकारी देने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।